

प्रेस नोट

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुरस्कार घोषित/वांछित/चोर/लुटेरो अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम मे थाना स्थानीय पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक उत्तरी के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी चौरीचौरा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष झंगहा द्वारा पुरस्कार घोषित/वांछित/चोर/लुटेरो अपराधी की गिरफ्तारी हेतु एक सशक्त टीम गठित की गयी थी। उक्त टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 16.10.2020 को मु0अं0 सं0 657/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट भादवि का अभियुक्त 1- अनिल राजभर पुत्र बाबूलाल राजभर निवासी राघोपुर थाना चौरी चौरा गोरखपुर को समय 12.50 बजे बलुघट्टा पुल थाना झंगहा जनपद गोरखपुर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. - अनिल राजभर पुत्र बाबूलाल राजभर निवासी राघोपुर थाना चौरी चौरा गोरखपुर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स 657/20 धारा3/25 आर्म्स एक्ट थाना झंगहा जनपद गोरखपुर

2. मु0अं0सं0 460/19धारा 8/20 NDPS ACT थाना चौरी चौरा

3. मु0अं0सं0 464/17 धारा 302/201/411 भादवि थाना चौरी चौरा

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल-

1. उ0नि0 विजय कुमार थाना झंगहा जनपद गोरखपुर

2. उ0नि0 शिवकैलाश थाना झंगहा जनपद गोरखपुर

3. का0 विकाश यादव थाना झंगहा जनपद गोरखपुर

4. का0 सुनील गौतम थाना झंगहा जनपद गोरखपुर